न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 08/2020 निर्णय दिनांक –10.06.2020

1. श्रीमति कैलाशीबाई पत्नि आशाराम जाति धाकड आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
2. श्रीमति लीलाबाई पत्नि धर्मचन्द जाति धाकड आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. श्री धनराज पिता काशीराम जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. श्री मुकेश पिता जयराज जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. श्री दिनेश पिता शोभा लाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 170 की आराजी नं0 1003 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 170 की आराजी नं0 1003 रकबा 0.1300 हैक्टेयर,की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.04 00:31:39 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official